

बिहार सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

दिनांक- 25.1.2016

सं०- एम-4-26/2013-653/वि०, राज्य के बोर्ड/निगम के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए Centage की राशि चार्ज किया जाता है किन्तु ऐसा पाया गया है कि राज्य के विभिन्न बोर्ड / निगमों के द्वारा अलग-अलग दरों पर निर्माण कार्यों के लिए राशि Centage के रूप में चार्ज किया जा रहा है ।

समीक्षोपरांत Centage का दर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है-

(i)

क्र०	कार्य की लागत	Centage का दर
1.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये तक	7%
2.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3.	परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% + 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%

(ii) वर्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी ।

(iii) Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधन प्राक्कलन पर ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रवि मितल

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- एम-4-26/2013-653/वि०

पटना, दिनांक- 25.1.2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना- 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

रवि मितल

प्रधान सचिव